

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, कैमूर के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से 08 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रु० 4,00,000/- (चार लाख रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार/ आधार संख्या	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता/मोबाइल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्ता का बीरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	स्व० राम दरस सिंह, 58, राम सागर सिंह, अनुसूचित जाति	बसंती देवी, (पत्नी), 408144712 186	357, 08.04. 2026	ग्रा०+पो०-नौहट्टा, धाना-बेलांव, प्रखण्ड-रामपुर, जिला-कैमूर 8210654757	28280001 00113202	PNB, PUNB02 82800	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर
02	स्व० झुना राम 47, घुरा राम, अनुसूचित जाति	बेबी देवी, (पत्नी), 547351009 410	358, 08.04. 2026	ग्रा०-सिसवार, पो०-धवपोखर, धाना-धवपोखर, प्रखण्ड-रामपुर, जिला-कैमूर 7065958424	00961026 5212	IPPB, IPOS000 0001	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, दिहाड़ी मजदूर का कार्य
03	स्व० बेचन सिंह, 45, सुखारी सिंह, अनुसूचित जाति	सकली देवी, (पत्नी), 991256359 689	360, 08.04. 2026	ग्रा०+पो०-कोल्हुआ, धाना+प्रखण्ड-अधौरा, जिला-कैमूर 9580419084	60070001 00046361	PNB, PUNB06 00700	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर
04	स्व० पिन्टू राम, 38, स्व० शिवमुरत राम, अनुसूचित जाति	दुर्गा देवी, (पत्नी), 350401866 868	361, 08.04. 2026	ग्रा०-धवपोखर, पो०-सवार, धाना-करमचट, प्रखण्ड-रामपुर, जिला-कैमूर 7004620994	27590017 00118524	PNB, PUNB02 75900	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर
05	स्व० जगनारायण राम, 37, यमूना राम, अनुसूचित जाति	लक्ष्मीना देवी, (पत्नी), 385839937 097	364, 08.04. 2026	ग्रा०-धवपोखर, पो०-सवार, धाना-करमचट, प्रखण्ड-रामपुर, जिला-कैमूर 9263110428	27590001 00077794	PNB, PUNB02 75900	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर
06	स्व० लालबचन पासवान, 50, स्व० रामसूरत पासवान, अनुसूचित जाति	फूलमती देवी, (पत्नी), 799345259 985	367, 08.04. 2026	ग्रा०-बरली, पो०-अमांव, धाना-करमचट, प्रखण्ड-रामपुर, जिला-कैमूर 8953986882	27580017 00051558	PNB, PUNB02 75800	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर
07	स्व० रमेश राम, 42, हरी राम, अनुसूचित जाति	शांति देवी, (पत्नी), 757070291 510	391, 10.04. 2026	ग्रा०+पो०-चैनपुर, धाना+प्रखण्ड-चैनपुर, जिला-कैमूर 9931707771	44317768 591	SBI, SBIN000 3360	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर

08	स्व० पारस राम, 64, रामगती राम, अनुसूचित जाति	लालती देवी, (पत्नी), 690850802 075	394, 10.04. 2026	ग्रा०-रुपिन, पो०-अमांव, थाना+प्रखण्ड- चैनपुर, जिला-कैमूर 9006328402	59350212 0037074	Union Bank, UBIN05 59351	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु भवन निर्माण हेल्पर का कार्य
----	---	---	------------------------	---	---------------------	-----------------------------------	--	---

कुल :- रु० 4,00,000/-

(चार लाख रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-48/2026-1011

पटना, दिनांक :- 11/08/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रु० 4,00,000/- (चार लाख रुपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/उप श्रमायुक्त, पटना/श्रम अधीक्षक, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

07/08/2026

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक